

प्रधान महालेखाकार (ले०&ह०) का
कार्यालय
बीरचंद पटेल पथ,
पटना, बिहार - 800001



OFFICE OF THE PRINCIPAL
ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
BIRCHAND PATEL PATH
PATNA, BIHAR - 800001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

का.आ.सं./ O.O.No. हिं.अ./ले.व ह./28/वार्षिक कार्यक्रम/2026-27/वी- 50
दिनांक / Date 18.06.2026

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय- हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक कार्यक्रम।

Subject- Annual programme for the year 2026-27 issued by the Department of Official Language for the progressive use of Hindi.

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम, जो स्व-व्याख्यात्मक एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु निदेशात्मक है, इस आदेश के साथ संलग्न की जा रही है।

The annual programme issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language for the progressive use of Hindi for the year 2026-27, which is self-explanatory and directive in nature for implementation of the Official Language Policy, is being attached with this order.

इस संबंध में इस कार्यालय के सभी कर्मिकों एवं अनुभाग प्रभारियों को निदेश दिया जाता है कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई कर इस कार्यालय (भाषा क्षेत्र 'क') के लिए निर्धारित लक्ष्यों (संलग्न वार्षिक कार्यक्रम की पृष्ठ संख्या-24 एवं 25 देखें) को प्राप्त करें। राजकीय कार्य हिंदी में करने से संबन्धित वार्षिक कार्यक्रम 2026-27 का विस्तृत विवरण <https://rajbhasha.gov.in/hi/annual-programme-and-reports> से डाउनलोड करें।

In this regard, all the personnel and section in-charge of this office are directed to take necessary action as per the guidelines issued by the Department of Official Language to achieve the targets set for this office (language area 'A') (see page no. 24 and 25 of the attached annual programme). Detailed information of Annual

Programme 2026-27 for doing official work in Hindi may be downloaded from <https://rajbhasha.gov.in/hi/annual-programme-and-reports>

संलग्नक:- यथोपरि।

हस्ता./-
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित:-

1. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हक.), बिहार, पटना।
2. सचिवालय, व. उपमहालेखाकार (प्रशासन)/सभी उपमहालेखाकार।
3. सभी वरिष्ठ लेखा अधिकारी।
4. सभी सहायक लेखा अधिकारी से अपेक्षित है कि इस कार्यालय परिपत्र की विषय-वस्तु से अनुभाग के कर्मचारियों को अवगत कराएं।
5. डाटा मैनेजर, आई.टी.एस.-इस आदेश की प्रति को कार्यालय के आधिकारिक वैबसाइट करने हेतु।

Digitally signed by
SUNIL KUMAR
Date: 18-06-2026
16:16:02

सहायक निदेशक (राजभाषा)

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2026-27 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 70% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 60% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 60% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4.ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 60%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	80%	55%	35%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	75%	65%	35%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एट आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	45%
6.	हिंदी में डिक्टेसन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	70%	60%	35%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%

9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक,ई-हिंदी समाचार पत्र, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं ।	100%	100%	100%
13 (i)	मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
(ii)	मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
(iii)	विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
(क)	हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
(ख)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक),	
(ग)	राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	